भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1355

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

एसएफआईओ का सशक्तिकरण

1355. श्री राधेश्याम बिश्वासः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को अधिक अधिकार दिये जाने तथा रातोंरात धनी बनाने का दावा करने वाली योजनाएं चलाने वाली कंपनियों के बारे में जनजागरूकता फैलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) आनलाइन और आफलाइन माध्यम से बड़े-बड़े दावे कर निर्दोष जनता को उगने वाली गैर पंजीकृत कंपनियों के बारे में आम जनता के मध्य जागरूकता फैलाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 211 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और अधिनियम की धारा 212 के तहत इसे जांच का अधिकार दिया गया है। निरीक्षकों की जांच करने की कार्यविधि और अधिकार इस अधिनियम की धारा 217 के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जांच के तहत कंपनी के पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों की शपथ या कंपनी के मामलों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की जांच करने का अधिकार शामिल है। इसमें दिनांक 24.08.2017 की सा.का.नि. 1062(अ) द्वारा अधिसूचित कंपनी (गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा जांच के संबंध में गिरफ्तारी) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 212(6) के तहत किसी भी दंडनीय अपराध का दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार भी शामिल है। अपंजीकृत फर्जी निकायों सहित किसी चूककर्ता कंपनी के विरुद्ध नियामक कार्रवाई करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान और भावी निवेशकों के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) द्वारा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

*****